रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1773] नई दिल्ली, बुधवार, जुलाई 31, 2013/श्रावण 9, 1935
No. 1773] NEW DELHI, WEDNESDAY, JULY 31, 2013/SRAVANA 9, 1935

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 31 जुलाई, 2013

का.आ. 2325(अ).— यत:, केन्द्रीय सरकार ने, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अधिनियम, 1988 (1988 का 68) की धारा 11 के अधीन जारी की गई भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का. आ. 1035 (अ), दिनांक 7 मई, 2010 द्वारा केरल राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग 17 के कुट्टीपुरम इडापल्ली सेक्शन का 318.000 कि.मी. से 438.600 कि.मी तक का खण्ड भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (जिसे इसमें इसके पश्चात् "प्राधिकरण" कहा गया है) को सौंपा है;

अत: अब, केन्द्रीय सरकार, समय-समय पर यथा संशोधित, राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क (दरों का आवधारण और संग्रहण) नियम, 2008 (जिसे इसमें इसके पश्चात् "उक्त नियम" कहा गया है) के नियम 3 के साथ पठित राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 7 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्द्वारा केरल राज्य में 431.500 कि.मी. (विद्यमान चैनेज पर वरापुझा ब्रिज और 437.250 कि.मी. (विद्यमान चैनेज) पर इडापल्ली आर ओ बी के उपयोग के लिए नीचे सारणी में विनिर्दिष्ट प्रकार के वाहनों पर सारणी में विनिर्दिष्ट दरों (जिसे इसमें इसके पश्चात "आधार पर" संदर्भित किया गया है) शुल्क उद्ग्रहीत करती है और प्राधिकरण को अपने अधिकारियों के माध्यम से अथवा संविदाकार के माध्यम से उक्त शुल्क का संग्रहण करने हेतु प्राधिकृत करती है, अर्थात:—

सारणी

शुल्क की आधार दर (रुपये) (प्रति वाहन प्रति एक तरफा यात्रा)						
स्थायी पुल, अथवा सुरंग की लागत (करोड़ रूपये में)	कार, जीप, वैन अथवा हल्के मोटर वाहन	हल्के वाणिज्यिक वाहन, हल्के मालवाहक वाहन या मिनी बस	ट्रक या बस (दो धुरी वाले)	तीन धुरी वाले वाणिज्यिक वाहन	भारी संनिर्माण मशीनरी (भा. सं.म.) या अर्थ मूविंग उपस्कर (अ. मू. उ.) या बहुधुरीय वाहन (ब.धु. वा) (चार से छह धुरी वाले)	बड़े आकार के वाहन (सात या अधिक धूरी वाले)
10 से 15	5	7.50	15	16.50	22	30
पंद्रह करोड़ रूपए से अधिक और एक सौ करोड़ रूपए तक, प्रत्येक अतिरिक्त पांच करोड़ रूपए या उसके भाग के लिए	1	1.50	3	3.30	4.50	6

टिप्पणियाँ :–

1. नीचे उद्ग्रहीत और सग्रहीत शुल्क वरापुझा ब्रिज और इडापल्ली रेलवे ओवर ब्रिज (आर ओ बी), जिसकी लागत नीचे विनिर्दिष्ट की गई है, के उपयोग के लिए निम्नलिखित टोल प्लाजा पर शोध्य और संदेय होगा:–

टोल प्लाजा का अवस्थान (चैनेज)	ब्रिज का ब्यौरा और लागत (करोड़ रूपये में.) जिसके लिए शुल्क संदेय है	
431.500 कि.मी. (विद्यमान चैनेज) वरापुझा ब्रिज, एरनाकुलम जिले में वारापुझा गांव	ब्यौरे	लागत
	431.500 कि.मी. पर वारापुझा ब्रिज	47.83 करोड़ रू.
	437.250 कि.मी. पर इडापल्ली आर ओ बी	36.13 करोड़ रू.

2. जिस व्यक्ति का अपना यांत्रिक वाहन, गैर–वाणिज्यि प्रयोजनों के लिए पंजीकृत हुआ हो और वह टोल प्लाजा से बीस कि.मी. तक की दूरी में ही रहता हो उसके लिए वर्ष 2013–14 के लिए मासिक पास की दर 215.000 रूपए (दो सौ पन्द्रह रूपए मात्र) होगी और राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क (दरों का अवधारण और संग्रहण) नियम, 2008 के उपबंधों के अनुसार उसमें प्रत्येक वर्ष संशोधन किया जायेगा।

3. राजमार्ग खण्ड पर बहुयात्राओं हेतु पास निम्नलिखित दरों पर जारी किया जायेगा, अर्थात :

संदेय धनराशि	अनुज्ञात एकतरफा यात्राओं की अधिकतम संख्या	विधिमान्यता की अवधि
एकतरफा यात्रा के लिए शुल्क का डेढ़ गुना	दो	संदाय के समय से चौबीस घंटे
पचास एकल यात्राओं के लिए संदेय शुल्क की राशि का दो–तिहाई	पचास	संदाय की तारीख से एक मास

4. जिस जिले में टोल प्लाजा पड़ता है उस जिले में पंजीकृत वाणिज्यिक वाहन (राष्ट्रीय परमिट के अधीन चल रहे वाहनों को छोड़कर) के लिए शुल्क उस श्रेणी के वाहन के लिए निर्धारित शुल्क का 50% होगा बशर्ते कि ऐसे वाणिज्यिक वाहनों के उपयोग के लिए कोई सर्विस रोड अथवा वैकल्पिक सड़क उपलब्ध न हो।

5. जो यांत्रिक वाहन नियमों के अधीन अपने प्रवर्ग के लिए निर्धारित अनुज्ञेय भार की अपेक्षा अधिक भार से लदे हुए होंगे उन्हें उन दरों पर शुल्क का संदाय करना होगा जो उनसे अगली उच्च श्रेणी के वाहनों के लिए लागू होता है और उन्हें तब तक राजमार्ग खण्ड का उपयोग करने का अधिकार नहीं होगा जब तक की ऐसे यांत्रिक वाहन से अधिक भार को हटा ना दिया जाए।

6. यांत्रिक वाहनों के प्रवर्ग, उनके लिए अनुज्ञेय भार, छूट प्राप्त वाहनों के प्रवर्ग, सर्विस रोड़, वैकल्पिक सड़क आदि सहित सभी परिभाषाएं नियमों में विनिर्दिष्ट परिभाषाओं के अनुसार होंगी।

7. उक्त नियमों के नियम 12 के अनुसार, उपयोगकर्ताओं की जानकारी के लिए शुल्क की दरों को प्रदर्शित किया जायेगा।

8. ऊपर सारणी 1 में यथा–उल्लिखित, आधार वर्ष 2007–08 के प्रति कि.मी. शुल्क की आधार दर के आधार पर, यांत्रिक वाहनों से लिए जाने वाले वास्तविक शुल्क और छूट की गणना प्राधिकरण द्वारा की जायेगी और उसे प्रकाशित किया जायेगा, और उसमें उक्त नियमों के नियम 5 के अनुसार वार्षिक तौर पर संशोधन किया जाएगा तथा उसे, तदनुसार, अंग्रेजी तथा स्थानीय भाषा के कम–से–कम एक–एक समाचारपत्र में प्रकाशित किया जाएगा।

9. परियोजना की अनुमानित पूंजीगत लागत 83.96 करोड़ रूपए है। प्राधिकरण द्वारा उपयोगकर्ताओं से वसूल किए गए शुल्क के जरिए पूंजीगत लागत की वसूली का रिकार्ड रखा जाएगा और पूंजीगत लागत की वसूली हो जाने के बाद लगाए गए शुल्क की दरों को घटाकर 40 प्रतिशत कर दिया जाएगा और उक्त नियमों के अनुसार उसमें वार्षिक तौर पर संशोधन किया जाएगा। 31.03.2013 तक कुल 12.52 करोड़ रूपये की राशि प्रयोक्ता शुल्क के रूप में वसूली गई है।

[फा. सं. भाराराप्रा/13013/744/12-13/सीओ/जीसी-कोझीकोड (431.500-437.250)/आर ओ बी]

अलकेश शर्मा, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 31st July, 2013

S.O. 2325(E).—Whereas vide notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways number S.O. 1035 (E) dated 7th May, 2010 issued under section 11 of the National Highways Authority of India Act, 1988 (68 of 1988), the Central Government entrusted the stretch from kilometer 318.000 to kilometer 438.600 of Kuttipuram – Eddapally Section of National Highway No. 17 in the State of Kerala to the National Highways Authority of India (herein after referred to as the "Authority").

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 7 of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), read with rule 3 of the National Highways Fee (Determination of Rates and Collection) Rules, 2008 and amended from time to time (hereinafter referred to as the "said Rules"), the Central Government hereby levies the fee at the rates specified in the Table (hereinafter referred to as "base rate") on the Type of Vehicles specified in Table below, for the use of Varapuzha Bridge at km 431.500 (Existing Chainage) and Edappally ROB at km 437.250 (Existing Chainage) in the state of Kerala and authorizes the Authority to collect, either through its officials or through a contractor, the said fee, namely:-

TABLE - I

Base rate of fee (rupees per vehicle per one way trip)						
Cost of permanent bridge or tunnel (rupees in crore)	Car, Jeep, Van or Light Motor Vehicle	Light Commercial Vehicle, Light Goods Vehicle or Mini Bus	Truck or Bus (Two axles)	Three - axle Commercial Vehicles	Heavy Construction Machinery (HCM) or Earth Moving Equipment (EME) or Multi Axle Vehicle (MAV) (four to six axles)	Oversized Vehicle (seven or more axles)
10 to 15	5	7.50	15	16.50	22	30
For every additional rupees five crores or part thereof, exceeding rupees fifteen crores and up to rupees one hundred crores.	1	1.50	3	3.30	4.50	6

Notes:

1. The fee levied and collected hereunder shall be due and payable for the use of the Varapuzha Bridge & Edappally Railway Over Bridge (ROB), cost of which are specified hereunder, at the following toll plaza:

Location of Toll Plaza (Chainage)	Details and cost of bridge (in Rupees Crore) for which fee is payable	
	Details	**Cost**
Km 431.500 (Existing Chainage), Varapuzha Bridge, Village – Varapuzha in Ernakulam District)	Varapuzha Bridge at Km 431.500	Rs. 47.83 Crores
	Edappally ROB at Km 437.250	Rs. 36.13 Crores

2. The rate of monthly pass for a person who owns a mechanical vehicle registered for non-commercial purposes & resides within a distance of 20 Km from the toll plaza is ₹ 215/- (Rupees Two Hundred Fifteen only) for the year 2013-14, which is subject to revision every year as per the provisions of the National Highways Fee (Determination of Rates and Collection) Rules, 2008.

3. For multiple journey on this, passes shall be issued at the following rates, namely

Amount payable	Maximum number of one way journeys allowed	Period of validity
One and one half times of the fee for one way journey	Two	Twenty four hours from the time of payment
Two-third of amount of the fee payable for fifty single journeys	Fifty	One month from date of payment

4. Fee for commercial vehicle (excluding vehicles plying under National permit) registered in the district where the fee plaza falls shall be 50% of the prescribed rate for that category of vehicles provided no service road or alternative road is available for use of such commercial vehicles.

5. Mechanical vehicle which is loaded in excess of permissible load specified for its category under the rules, shall be liable to pay fee at such rates which is applicable for the next higher category of the vehicles and shall not be entitled to make use of the highway section unless the excess load has been removed from such mechanical vehicle.

6. All definitions including category of mechanical vehicles, its permissible load, category of exempted vehicles, service road, alternative road etc. shall be as per definitions specified in the said rules.

7. The fee rates shall be displayed for information of the users in accordance with the rules 12 of the said rules.

3351 GI/13-2

8. Based on the base rate of fee for the base year 2007-08 as mentioned in the Table-I, the actual amount of fee to be charged from the mechanical vehicles and the discounts will be calculated by the Authority and published and will further be revised annually in accordance with the rule 5 of the said rules and the same shall be published in at least one news paper, each in English & Vernacular Language accordingly.

9. The estimated capital cost of the project is ₹ 83.96 Crores. The Authority shall maintain a record of the recovery of capital cost through user fee realized and after recovery of the capital cost, the fee leviable shall be reduced to 40% of the rates and shall be revised annually in accordance with the said rules. A total of Rs. 12.52 Crore has been recovered from the users fee realized till 31.03.2013.

[F. No. NHAI/13013/744/12-13/CO/GC-Kozhikode (431.500-437.250) ROB]

ALKESH SHARMA, Jt. Secy.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.